(5)

प्रकरण क्रमांक R.1149-तीन/14

1. शैलेन्द्र कुमार उम्र 58 वर्ष
2. श्रवण कुमार उम्र 56 वर्ष,

दोनों के पिता सतानन्द, निवासी ग्राम– बरा पैपखार, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम्

1. महेन्द्र कुमार
2. सम्पत कुमार

दोनों के पिता स्व. सतानन्द, निवासी ग्राम–बरा–पैपखार तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील–सिरमौर के उन्मान प्रकरण महेन्द्र कुमार वगैरह बनाम् शैलेन्द्र कुमार वगैरह प्र.क्र. 27ए–6ए/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2014.

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

R. 1149-तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
2.7.2015	यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा व्दारा प.क. 27/ अ-6 अ/10-11 में पारित अंतरिम आदेश दि. 26-2-14 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सिरमौर के न्यायालय में उभय पक्ष के बीच भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर लिपिकीय त्रृटि दुरूस्ती का विवाद प्रचलित है जिसमें आवेदक की ओर से संहिता की धारा 178 (ए) का आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद चलने के कारण कार्यवाही रोके जाने की आपत्ति की गई, जिस पर तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 26-2-14 से निर्णय लिया है कि उक्त आवेदन का निराकरण अंतिम निराकरण के दौरान किया जावेगा। 3/ संहिता की धारा 178 के अंतर्गत भूमि के बटवारे वावत् कार्यवाही होती है जबकि तहसीलदार के समक्ष मामला भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के भू अभिलेख में लिपिकीय त्रृटि सुधार का है। आवेदक ने व्यवहार न्यायालय से स्थगन आदि प्राप्त कर भी प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी मान.व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है और आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार ने किसी प्रकार का निर्णय भी नहीं लिया है अपितु प्रकरण सुनवाई हेतु आगे की तिथियों में लगाया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (हस्ताक्षर) सदस्य	